



2026:AHC-LKO:4687-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

रिट - सी संख्या - 560 सन 2026

शबाना बानो

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव नगर विकास
लखनऊ एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	अनिल कुमार तिवारी, उज्जवल तिवारी
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 1

**माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय
माननीय न्यायमूर्ति अब्देश कुमार चौधरी**

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को, प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.के. सिंह को तथा राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. याचिकाकर्ता का आरोप है कि प्रतिवादी संख्या 4 और उसके अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उसकी भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है और अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। याचिकाकर्ता अपनी शिकायत (यदि कोई हो) प्रतिवादी संख्या 4 से उठा सकता है या कानून द्वारा अनुमत अन्य उपायों का लाभ उठा सकता है, क्योंकि हम ऐसे प्रश्नों में प्रवेश नहीं कर सकते जिनके लिए तथ्यों और साक्ष्यों की जांच की आवश्यकता हो।
3. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका को निस्तारित किया जाता है।

[न्यायमूर्ति अब्देश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन रॉय]

जनवरी 21, 2026

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

-पीयूष-

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।